न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – श्री शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2019/124

1. डूंगरी देवी उर्फ गुड्डी देवी पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

– वादीया

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री नेमीचंद शर्मा वकील वादी।
2. पैरोकार राज

–:निर्णय:–

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

दिनांक :– 12.09.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एल आर एक्ट 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वादीया के नाम ग्राम किस्तूरिया में खाता संख्या 107 खसरा नम्बर 335/115 में 25 बीघा वादीया का नाम डूंगरीदेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण के नाम जमाबंदी सम्वत 2068–71 में दर्ज है। वादिया उपरोक्त खरीदशुदा भूमि पर निरंतर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा उपरोक्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार है। दिनांक 02.09.19 को अपने खेत की जमाबंदी लेने पटवारी हल्का के पास गई तब पता चला कि उसका राजस्व रिकार्ड में नाम डूंगरी देवी चल रहा है जबकि वादीया का समस्त आईडी प्रूफ में नाम गुड्डी देवी तथा इसी नाम से जाना व पुकारा जाता रहा है। वादिया की उक्त भूमि खरीदशुदा है जिसमें वादीया का घेरलू

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

नाम डूंगरी देवी के नाम से जरिए बैयनामा खरीद की हुई है। मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड राशनकार्ड में नाम गुड्डी देवी दर्ज है तथा बच्चों के तमाम शेक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में माता का नाम गुड्डी देवी दर्ज है। वादिया जरिए घोषणात्मक वाद एवं रिकार्ड दुरूस्ती करवाने की अधिकारी है।

वादपत्र की प्रति तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लूनकरनसर ने अपनी रिपोर्ट में उचित साक्ष्य लेकर राज्य हित सुरक्षित रखते हुए वादीया के नाम डूंगरी देवी के स्थान पर डूंगरी देवी उर्फ गुड्डी देवी किये जाने की अनुशंषा की। वादीया ने वादपत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत सुरजनसर की तस्दीक, मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड राशनकार्ड तथा बच्चों के शेक्षणिक प्रमाण पत्र, पति लक्ष्मीनारायण का शपथ पत्र, शपथ पत्र रामूराम पुत्र डालूराम बा[illegible]वाली एवं स्वयं का शपथपत्र पेश किया जिसमें वादीया का नाम डूंगरीदेवी उर्फ गुड्डी देवी की ताईद की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर हमने पत्रावली कें संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। वादिया द्वारा प्रस्तुत समस्त आईडी प्रूफ एवं बच्चों के शेक्षिणिक दस्तावेजों में माता गुड्डी देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण दर्ज है। उसके अलावा प्रस्तुत शपथ पत्रों तहसीलदार की अनुशंषा एवं ग्राम पंचायत सुरजनसर द्वारा जारी तस्दीक के आधार पर वाद वादीया साबित होता है। अतः रोही मौजा किस्तूरिया की जमाबंदी सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 107 में वादीया का नाम डूंगरी देवी के स्थान पर डूंगरी देवी उर्फ गुड्डी देवी दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तदनूसार पर्चा डिक्री जारी हों। तहसीलदार लूनकरनसर को उक्त निर्णय की पालना में रिकार्ड दुरूस्त करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : शिवपाल जाट आरएएस

डूंगरी देवी उर्फ गुड्डी देवी **बनाम** सरकार

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट 151 सीपीसी

मुकदमा नम्बर : 1?? /2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादी श्री नेमीचंद शर्मा** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज** राज की ओर **से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि दावा वादीया स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किरतूरिया की जमाबंदी सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 107 में वादीया का नाम डूंगरी देवी के स्थान पर डूंगरी देवी उर्फ गुड्डी देवी दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....

बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................

फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक ...14/9/19...

को डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर (मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner